

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम०के० सिंह

सदस्य

निगरानी प्र० क्र० 1708-एक/2012 विरुद्ध आदेश दिनांक 03-05-12 पारित  
अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 31/11-12 अपील.

असगरी बाई पत्नी अल्लानूर  
निवासी बालापुर, तहसील व जिला  
श्योपुर, म०प्र०  
विरुद्ध

— आवेदक

- 1- रामश्री बाई पत्नी स्व० शम्भूसिंह  
नि० ज्वालापुर, तह व जिला श्योपुर
- 2- म०प्र० शासन, द्वारा कलेक्टर  
श्योपुर, म०प्र०
- 3- नाथूसिंह पुत्र भंवरसिंह  
नि० ज्वालापुर, तह० व जिला श्योपुर

— अनावेदकगण

श्री प्रदीप के श्रीवास्तव, अभिभाषक - आवेदक  
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक- अनावेदक क्र०-1  
श्री वी०एन० त्यागी, पैनल अभिभाषक- अनावेदक क्र०-2  
आदेश

(आज दिनांक 21 जनवरी, 2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के अपील प्रकरण क्रमांक 31/11-12 में पारित आदेश दिनांक 03-05-12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।


2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील श्योपुर के ग्राम ज्वालापुर में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्र० 77 का बन्दोवस्त के समय गलत सर्वे क्रमांक अंकित किया गया। अनावेदक क्र० 1. ने बन्दोवस्त के समय बने सर्वे क्रमांक 20 के स्थान पर 24 तथा सर्वे क्रमांक 24 के स्थान पर 20 हो जाने से सर्वे क्रमांक में हुई त्रुटि को दुरुस्त कराने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर



कार्यवाही प्रारम्भ की और अपने आदेश दिनांक 19-05-2010 द्वारा पटवारी कागजात व नक्शे में संशोधन किये जाने के आदेश दिये। कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 29-11-2011 द्वारा अपील स्वीकार की और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अनावेदक रामश्रीबाई द्वारा अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 03-05-2012 द्वारा अपील स्वीकार कर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया है और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा है। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक क0-1 के पुत्र ने आवेदक के विरुद्ध इन्हीं सर्वे नम्बर के संबंध में दीवानी दावा प्रस्तुत किया था जिसमें सिविल न्यायालय ने आवेदक का स्वामित्व एवं आधिपत्य मान्य किया है। अपर आयुक्त द्वारा तकनीकी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखने में त्रुटि की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क0-1 के अभिभाषक का तर्क है कि बन्दोवस्त के दौरान अनावेदक के स्वत्व व कब्जे की भूमि सर्वे क्रमांक 24 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 20 अंकित हो गया जिसकी दुरुस्ती हेतु अनावेदक द्वारा आवेदनपत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत जाँच एवं प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद बन्दोवस्त में हुई त्रुटि के सुधार के आदेश दिये हैं जिसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि सिविल न्यायालय में अनावेदक क0-1 पक्षकार नहीं था, इसलिये सिविल न्यायालय के निर्णय उस पर बन्धनकारी नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।



5/ प्रकरण के अभिलेख से स्पष्ट है कि बन्दोवस्त में हुई त्रुटि के सुधार हेतु अनावेदक क0-1 द्वारा आवेदनपत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधीक्षक, भू-अभिलेख बन्दोवस्त श्योपुर को जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया और तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने बन्दोवस्त में हुई त्रुटि के सुधार किये जाने के आदेश पारित किये हैं। संहिता की धारा 89 में यह प्रावधान है कि -

“89. उपखंड अधिकारी, राजस्व सर्वेक्षण बन्द हो जाने के पश्चात तथा बन्दोवस्त की प्रविधि के दौरान किसी सर्वेक्षण संख्यांक या खाते के क्षेत्रफल या निर्धारण में की किसी ऐसी गलती को, जो सर्वेक्षण में हुई भूल या गणना करने में हुई भूल के कारण हुई हो, ठीक कर सकेगा,

परन्तु ऐसी गलती को ठीक करने के कारण भू-राजस्व का कोई बकाया देय नहीं हो जायेगा।”

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि बन्दोवस्त में हुई त्रुटि का सुधार करने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अधिकारिता रहित होना नहीं माना जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बन्दोवस्त में हुई त्रुटि का सुधार हेतु आवेदन अनावेदक क0-1 द्वारा प्रस्तुत किया गया है और सिविल न्यायालय में अनावेदक क0-1 पक्षकार नहीं है, इसलिये सिविल न्यायालय के आदेश के आधार पर अनावेदक क0-1 के विरुद्ध कोई निष्कर्ष निकालना न्यायसंगत नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 03-05-12 यथावत रखा जाता है।

( एम0के0सिंह )

सदस्य,

राजस्व मण्डल, म0प्र0

ग्वालियर,